31-1-18	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रतिवादी [illegible] अधिकारी राज. उप[illegible] जयपुर / जयपुर पधारे कार्य [illegible] पत्रावली पूर्ववत दिनांक 15/2/18 हुये है। को पेश हो।
15/2/18	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी [illegible] अधिकारी के राजकार्य [illegible] में सुनवाई नहीं [illegible] पत्रावली पूर्ववत दिनांक 8/3/18 को पेश हो।
8/3/18	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। [illegible] अधिकारी के राजकार्य [illegible] में सुनवाई नहीं [illegible] पत्रावली पूर्ववत दिनांक 10/5/18 को पेश हो।
10-5-18	पेश हो। पत्रावली का लोक अदालत हेतु चयन किया गया, पक्षकारान को नोटिस जारी हो पत्रावली दिनांक 13-6-18 कैम्प तोरण ... को पेश हो।
13/06/18 नि. अनुराग	पत्रावली लोक अदालत केम्प तोरण में पेश हुई। वादी मजमें आम में उपस्थित। वादी को प्रकरण के सम्बन्ध में सुना गया। वादी ने कथन किये कि ग्राम तोरण तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 1535/970 रकबा 0.80 हे0 पश्चिम, ख0नं0 1536/972 रकबा 0.40 हे0 दक्षिण कुल किता 2 रकबा 1.20 हे0 भूमि पूर्व में खरीद की गई थी, किन्तु उक्त भूमि में वादी का नाम अनुराज के स्थान पर सहवन से अनुराग दर्ज हो गया। जबकि वादी के समस्त दस्तावेजात् में वादी का नाम अनुराज दर्ज है। अतः विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम अनुराग के स्थान पर अनुराज दर्ज की जावें। मजमें आम में पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक

Scanned by CamScanner

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विचार किया। अपनें वाद पत्र के समर्थन में वादी द्वारा आधार कार्ड, ग्राम पंचायत मूण्ड़ला द्वारा जारी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की छायाप्रतियां तथा विवादित आराजी की जमाबंदी प्ररतुत की है। पहचान के दस्तावेजों में वादी का नाम अनुराज अंकित है। चूंकि उक्त विवादित भूमि कय की गई है तथा वादी द्वारा कथन किये गये है कि सहवन से वादी का नाम अनुराग दर्ज कर दिया गया। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा विकय पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। जिससे प्रमाणित हो कि विकंय पत्र में अंकित नाम के अतिरिक्त अन्य नाम राजस्व रिकॉर्ड में किया गया हो। जिससे वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं है। लिहाजा वाद वादी खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिकी जारी हो। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner

नम्बर व ...
जो किस ...
तामील में ...

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प तोरण

उनवान

अनुराज पुत्र पांचूलाल जाति कुम्हार निवासी मूण्डला तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर– 88/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " वाद वादी खारिज किया जाता है।" तद्नुसार अंतिम डिकी जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 13.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बावत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner